हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2011

संख्या का०आ० 14/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2011.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 8/ह०अ० 6/2003/ धा० 59/2010, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे,—

(क) क्रम संख्या 21 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"21 जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला, बाइओमास रोलज तथा स्थानीय निकायों से प्राप्त ठोस कूड़े-करकट से निर्मित सुखा नगरपालिका ठोस कूड़ा-करकट का ईंधन";

(ख) क्रम संख्या 29क तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"29ख पंजाब खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 (1956 का 40) के अधीन गठित खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग अथवा बोर्ड द्वारा प्रमाणित खादी संस्थाओं द्वारा निर्मित तथा बेचे गये हाथ से बुने हुये, हाथ से बने खादी कम्बल तथा खेस, पोली खादी फैबरिक, खादी वस्त्र तथा सूती दरियां"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।